131

COURT FEE 5 Rs INDIA FIVE RUPEES | COURT FEE 10 Rs INDIA TEN RUPEES

CF-815/-2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

प्र0क्र0 /2001 /निगरानी

R-316-II/2001

श्री एस. के. अवस्थी - अभिभाषक द्वारा आज दि. 13/2/01 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

तेजबहादुर सिंह तनय लालजी सिंह
निवासी ग्राम अमिलिया तह0 सिहावल
जिला सीधी म0 प्र0

– आवेदक

– विरूद्ध –

विजय प्रताप सिंह तनय बच्चूलाल सिंह
निवासी ग्राम अमिलिया तह0 सिहावल
जिला सीधी म0 प्र0

– अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग, दिनांक 1-2-2001 धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 प्र0क्र0 393/96-97 अपील.

श्रीमान

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञाये कानून सही नहीं है ।
2. यह कि अधी0 न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा ।
3. यह कि कथित रास्ता बढिगत होना मानना तथ्यों के विपरीत है । साथ ही इस संबंध में प्रार्थी की स्वीकारोक्ति मानाना भी अभिलेख के विपरीत है ।
4. यह कि अधी0 न्यायालयो ने प्रकरण में उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य पर विचार नहीं किया विशेष कर अपर आयुक्त महोदय ने किसी साक्ष्य पर न तो कोई विचार किया और न कोई विवेचना की,
5. यह कि जो आपत्तियां प्रार्थी की ओर से अपीलीय न्यायालयों में उठाई गई थी उन पर समुचित विचार किये बिना निर्णय लेने में भूल हुई है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 316–दो/2001 निग0 जिला – सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	पूर्व पेशी पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क गये। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा के प्रकरण क्रमांक 393/1996–97 अपील में पारित आदेश दिनांक 1–2–2001 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक ने तहसीलदार गोपद बनास के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम आमेलिया की आराजी क्रमांक 2134/1 एंव 2135 की भूमि आवेदक की होना बताकर पूर्व से प्रचलित रास्ते को बाड़ी लगाकर रोक देने के कारण रास्ता खुलवाये जाने की मांग की है। तहसीलदार गोपद बनास ने जांच एंव सुनवाई उपरांत प्रकरण कमांक 1 अ–13/96–97 में पारित आदेश दिनांक 9–5–97 से पूर्व से प्रचलित रास्ते को खोले जाने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अधिकारी गोपद बनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 68/96–97 अपील में पारित आदेश दिनांक 20–8–97 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा के समक्ष द्वित्तीय अपील हुई है। अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण क्रमांक 393/1996–97 अपील में पारित आदेश दिनांक 1–2–2001 से अपील निरस्त की है।	

प्रकरण में विचार यह करना है कि क्या पूर्व से चले आ रहे रूढिगत रास्ते को अवरूद्व किया जा सकता है अथवा नहीं। तहसील न्यायालय में अनावेदक वाद विचारित भूमि पर रूढ़िगत रास्ता होना प्रमाणित कर चुका है तथा मौके की जॉच में भी रूढिगत रास्ता होना पाया गया है जिसे आवेदक ने बाड़ी (बागढ़) लगाकर अवरूद्व किया है। आवेदक तहसील न्यायालय में अथवा अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के समक्ष एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रकरण में प्रमाणित करने में असफल रहा है कि मौके पर रूढ़िगत रास्ता नहीं था, इसके विपरीत तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने मौके पर रूढ़िगत रास्ता होना तथा आवेदक व्दारा बाड़ी (बागढ़) लगाकर अवरूद्व किया जाना पाया है जिसके कारण आवेदक सहायता पाने का पात्र नहीं है। फ़लतः तहसीलदार गोपद बनास व्दारा प्रकरण कमांक 1 अ–13/96–97 में पारित आदेश दिनांक 9–5–97 में निकाले गये निष्कर्ष, अनुविभागीय अधिकारी अधिकारी गोपद बनास व्दारा प्रकरण कमांक 68/96–97 अपील में पारित आदेश दिनांक 20–8–97 में निकाले गये निष्कर्ष तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 393/1996–97 अपील में पारित आदेश दिनांक 1–2–2001 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 393/1996–97 अपील में पारित आदेश दिनांक 1–2–2001 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य